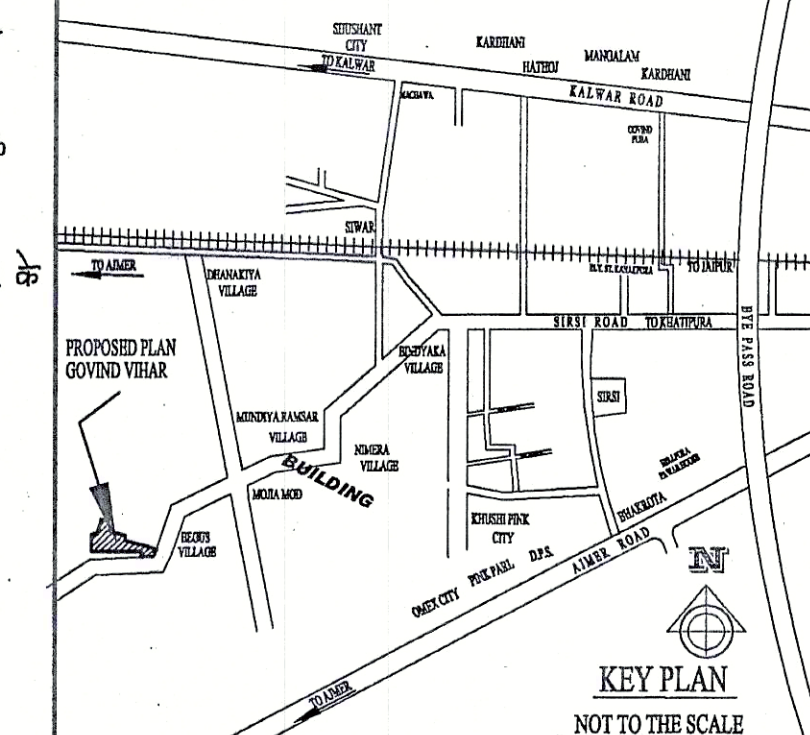


LAY-OUT PLAN OF GOVIND VIHAR KHASAR NO.-1031/848, 1036/847, 1038/849, 1040/368 & 1042/841 AT- VILLAGE- BEGUS, TEHSIL-KALWAR, JAIPUR

J.D.A. $\frac{1570}{8} = 196.25$

NOTE -
योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 4 को मूलतः 3 मीटर पट्टा भाग प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त भूखण्डों की लीजडीज जारी की जावे।
उक्त भूखण्डों के आगे स्थित 30 मीटर सड़क टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसंधान विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 4 से 9, 34 से 39 कुल भूखण्ड 12 कुल क्षेत्रफल 1555.20 वर्गमीटर है, को पश्चात ही उक्त भूखण्डों पर 30 मीटर सड़क के मापदण्ड लगे, किन्तु आवेदक उक्त भूखण्डों के मापदण्ड 30 मीटर की आवश्यकता लगे होंगे।
अतः का अंकन जारी होने वाले उक्त भूखण्डों की लीजडीज ATP (BPL-LP) पर किया जावे।



1.9806 HECTARES

TOTAL SCHEME AREA = 19806.00 SQ.MT

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार नूतन आवेदन भूखण्डों की विनियमन
1. कुल आवेदन भूखण्ड = 125
2. कुल भूखण्ड = 1

गोके के अनुसार योजना का नूतन उपयोग व तकनीकी विनियमन

क्र.सं.	नूतन उपयोग	क्षेत्रफल SQ.MT	प्रतिशत
1	RESIDENTIAL	11684.42	58.89
2	INFORMAL COMMERCIAL	410.63	02.07
3	S.W.M	67.14	00.34
4	MOBILE TOWER	24.58	00.12
5	PARK	994.50	05.02
6	ROAD	6644.73	33.56
	TOTAL SCHEME AREA	19806.00	100.00

NAME OF SOCIETY : PRIVATE DEVELOPER

PROPOSED LAY-OUT PLAN OF
GOVIND VIHAR

ZONE NO. = 12

SCALE 1 : 5 MT DRG. NO.

A.T.P. D.T.P. S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

For M/s Shree Vinayak Associates
SURWAY / DRG. BY : *Shree Vinayak Associates*
Proprietor
SHREE VINAYAK ASSOCIATES
KHATIPURA MODE, BUSTI ROAD, KHATIPURA, JAIPUR.
PH. 0141-2356499, 4007644 MOBILE - 9351354111
Email - vnaa@shreevinayak.com

- नोट
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 10.03.2025 को हो चुकी है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 4 से 9, 34 से 39 कुल भूखण्ड 12 कुल क्षेत्रफल 1555.20 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 391 वीं बैठक दिनांक 01.04.2025 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 28.11.2021 के अनुसार जावेगा।
 - योजना का उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 में आवासीय दर्शित है।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
 - योजना के एक ही लॉट से उभरते भूखण्डों की लीजडीज एक ही लॉटन होने के पश्चात ही जारी की जावेगी।

सहायक नगर नियोजक
विशेष नगर
सहायक नगर नियोजक जोन-12
ज.वि.प्र. जयपुर

तहसीलदार
जोन-12
नगर विकास प्राधिकरण जयपुर
(कोमल शर्मा)

उपायुक्त
जोन-12
नगर विकास प्राधिकरण जयपुर
(डॉ. राकेश कुमार मीठा)

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)
(महावीर सिंह)

अतिरिक्त नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)
BPC (LP)

